सं. 11013/08/2013-स्था.(ए-III)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 31 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सेवा संबंधी मामलों के संबंध में सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन- अनुदेशों को दोहराने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 6 जून, 2013 के समसंख्यक का.ज्ञा. सं. का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा उनके सेवा संबंधी मामलों के विषय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों के बावजूद, यह पाया गया है कि अर्द्ध सैन्य बलों और सेना कार्मिकों के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित सरकारी सेवक सीधे प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव (कार्मिक) और अन्य उच्चतर प्राधिकारियों को अभ्यावेदन दे रहे हैं।

2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, जहां सरकारी सेवक उनके सेवा अधिकारों या शर्तों से जुड़े किसी मामले पर कोई दावा करना चाहता है या किसी शिकायत का समाधान चाहता है तो उसके लिए समुचित प्रक्रिया अपने आसन्न कार्यालीय वरिष्ठ या अपने कार्यालयाध्यक्ष या समुचित स्तर के ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो उस संगठन में ऐसे मामले से निपटने में सक्षम को, को संबोधित करना है।

3. अभ्यावेदनों का पत्राचार के निर्धारित माध्यम को नजरदांज कर अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना गंभीरता से देखा लिया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हैं। इसे अशोभनीय आचरण माना जा सकता है, जिस पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (iii) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें ई-मेल या लोक शिकायत पोर्टल इत्यादि सहित सभी तरह का पत्राचार शामिल होगा।

4. इस संबंध में सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें उसके सेवा संबंधी मामलों में बाहरी प्रभाव डालने पर रोक है। जैसा कि गृह मंत्रालय के दिनांक 19.09.1963 के का.ज्ञा. सं. एफ. 25/21/63-स्था.(क) द्वारा स्पष्ट है,सरकारी सेवक के संबंधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को भी बाहरी प्रभाव माना जाता है।

5. यह बात दोहराई जाती है कि इन अनुदेशों को अर्द्ध सैन्य बलों एवं सशस्त्र बलों के सदस्य सहित सभी सरकारी सेवकों के ध्यान में लाया जाए और इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जाए।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
टेलिफैक्स: 23093176

सेवा मेः

सभी मंत्रालय/विभाग के सचिव

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबंद्ध कार्यालय।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
13. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
14. सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी।
15. एडीजी (एम&सी), पत्र सूचना कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
16. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (इस मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए कार्यालय ज्ञापन एवं आदेश-स्थापना- (आचरण नियमावली)।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
टेलिफैक्सः 23093176